

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No.439/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 507/2026

Bhupesh Tagore S/o. Shri Bhimsain Tagore, The Then Assistant Administrative Officer (Salary Saving Department), Life Insurance Corporation, Branch-Ii, Rangbadi Road, Kota, R/o. P.no. 1159, Mahaveer Nagar-I, Kota. (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Appellant

Versus

C.b.i., Jaipur Through Sr. Public Prosecutor

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No.550/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 620/2026

Mahendra Kumar Jain S/o Shri Manak Chand Jain, Then Upper Division Assistant (Salary Saving Scheme Department), Life Insurance Corporation Of India, Branch Ii, Rangbadi Road, Kota, Resident Of House No. 1-Dh-19, Dadabadi Extension, Kota. (Presently The Accused Appellant Is In Central Jail Jaipur)

----Appellant

Versus

Central Bureau Of Investigation, Through Special Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री राजीव सुराणा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय मि. मुस्कान वर्मा मि. सोम्या मंगल श्री सिद्धार्थ सोगानी व मि. पलक सिन्हा
-------------------	---	--

श्री मनीष गुप्ता मय
मि. श्वेता सोनी

For Respondent(s) : श्री जगमोहन सक्सैना, विशेष लोक अभियोजक
श्री चिन्मय सक्सैना व
श्री आदित्यवर्धन पंचोली

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on :: **23/04/2026**

Pronounced on :: **30/04/2026**

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (सी.बी.आई.) कम-1, जयपुर महानगर, प्रथम द्वारा विशेष नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या- 06/2012, सरकार बनाम महेन्द्र कुमार जैन वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 26.02.2026 के विरुद्ध ये पृथक-पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय व दण्डादेश के विरुद्ध होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है । उनका निवेदन है कि अपीलार्थीगण निर्णय की दिनांक 26.02.2026 से अभिरक्षा में हैं । उनके विरुद्ध किसी प्रकार की सुदृढ साक्ष्य नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि साक्षीगण के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास विद्यमान है, अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य

है। प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जावें।

अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से दाण्डिक अपील संख्या—2675/2009, पट्टायन श्रीकान्थ बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 का न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया है।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि अभियुक्तगण द्वारा मिलकर राशि का दुरुपयोग किया गया है। अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जावें।

हमने उभयपक्षों के तर्कों व वितर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री, साक्षीगण के कथनों का अवलोकन किया व प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय का ससम्मान अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपीलों के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना ये सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. भूपेश टैगोर पुत्र श्री भीमसेन टैगोर एवं 2. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री माणकचन्द जैन** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/reserve